तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामलाल बनाम चुन्नीलाल आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मु.नं. 63/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2021	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील लूनकरनसर मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 759/873 तादादी 27 बीघा कब्जे एवं दखल में स्थित हैं। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में आवासीय ढाणी बनाई हुई हैं। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं हैं प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 758 के उत्तर दिशा में स्वीकृत रास्ता है उक्त स्वीकृत रास्ते से दक्षिण दिशा की और चल कर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 759/873 में आना–जाना करता हैं। लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थी एवं प्रार्थी के मध्य मन मुटाव होने पर अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देता रहता हैं। अतः प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 759/873 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि मौजा रोही खोडाला तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 758 में से नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृत एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करें। तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा रिपोर्ट पटवार हल्का में खसरा नम्बर 758 में उत्तर से दक्षिण में रास्ता कटान स्वीकृत किया जाना उचित हैं की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी चून्नीलाल पुत्र तखुराम जाति जाट के उक्त खसरा नम्बर 758 में से 0.4 बीघा रास्ता गैर मुमकिन दर्ज करने बाबत निःशुल्क भूमि देने बाबत सहमति दी हैं। उक्त खसरा नम्बर 758 में 0.4 बीघा (40X2=80 गटा) का गैर मुमकिन रास्ता कटान होने पर किसी राजकीय व व्यक्तिगत का हित प्रभावित नहीं होगा कि रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 01 एवं वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वकालतनामा एवं शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 759/873 जो प्रार्थी की भूमि है जिसमें आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 758 में तादादी 14.13 बीघा खातेदारी भूमि में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए निःशुल्क रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया हैं। अतः अवागमन हेतु रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर अंकन के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी ग्राम खोडाला संवत् 2072–75 के ख.नं. 759/873 एवं जमाबन्दी ग्राम खोडाला संवत् 2072–75 के ख.नं. 758, नकल नक्शा खसरा नम्बर 758 एवं तहसीलदार रिपोर्ट शामिल पत्रावली हैं। जिसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट खसरा नम्बर 758 में उत्तर से दक्षिण में रास्ता कटान स्वीकृत किये जाने पर खसरा नम्बर 758 दो भागो में विभाजित होगा जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। अप्रार्थी संख्या 01 एवं वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पेश रास्ता बाबत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 759/873 जो प्रार्थी की भूमि है जिसमें आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 758 में तादादी 14.13 बीघा खातेदारी भूमि में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए निःशुल्क रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया हैं। उक्त रास्ता बाबत नकल नक्शा का अवलोकन किया गया उक्त रास्ता खसरा नम्बर 758 में खसरा नम्बर 1129/759 के चिपते हुए निकलता हैं जो अधिक उपर्युक्त प्रतीत होता है एवं उक्त रास्ते से खसरा नम्बर 758 की भूमि का विभाजन भी नहीं होगा। अतः आपसी सहमति एवं शपथ पत्र के आधार पर उक्त गैर मुमकिन रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 758 में तादादी 14.13 बीघा खातेदारी भूमि में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए जोकि खसरा नम्बर 758 में से 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 1129/759 के चिपते हुए निकलता हैं कि स्वीकृति एवं उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश दिये जाते हैं। आदेश कि प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भागीरथ शाक्य) उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested